संख्या– /XIX–2/111/खाद्य/2002

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल/कुमायूँ संभाग,
देहरादून/हल्द्वानी।
4. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 25, जून, 2008

विषयः–लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल योजना में माह जुलाई 2008 से सितम्बर 2008 हेतु गेंहू के तदर्थ/अतिरिक्त मासिक आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1–1/2007बीपी III Part-I(27) दिनांक 16 जून, 2008 (प्रति संलग्न) के द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह जुलाई 2008 से सितम्बर, 2008 तक के लिए 4000 मी0टन मासिक गेंहू का तदर्थ/अतिरिक्त एपीएल योजना के अन्तर्गत आवंटन किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.06.2008 के द्वारा माह जुलाई 2008 से सितम्बर 2008 का एपीएल योजनाओं में आवंटित 4000 मी0टन मासिक गेंहू का आवंटन संलग्नक–1,जनपदवार ब्रेकअप के आवंटन के अनुरूप जनपदों को आवंटन/वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

3–उक्त खाद्यान की उठान की वैधता अवधि प्रत्येक माह के आवंटन हेतु प्रथम दिन को सम्मिलित करते हुए 50दिन की होगी। निर्धारित अवधि के भीतर आवंटित खाद्यान का उठान/वितरण सुनिश्चित किया जायें। जैसे कि भारत सरकार के पूर्व पत्र संख्या 1–1/2008– BP III Part I (27) दिनांक 20.3.2008 में निर्दिष्ट आदेशों के अनुरूप होगी।

4– यह भी सुनिश्चित किया जाय, कि आवंटित एपीएल गेंहू लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित प्रक्रिया के मानकों/नियमों के अन्तर्गत वितरण किया जाय,तथा पूर्ण सतर्कता बरती जाय कि आवंटित खाद्यान का लीकेज/डाईवर्जन कदापि न हो। भारत सरकार के आदेश संख्या–4–7/2005 PY IV/PD-I (Pt), दिनांक 17जनवरी,2008 का अनुपालन करते हुए उक्त ए0पी0एल0 गेंहू सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से वास्तविक राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराये जाय। जिसमें संबंधित अधिकारी का पूर्ण दायित्व रहेगा।

5— इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

6— आवंटित ए0पी0एल0 गेहूँ का भौतिक सत्यापन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या–64 (1)/XIX–2/111/खाद्य/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

2– अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 1–1/2008बीपी।।। दिनांक 16 जून, 2008 के सन्दर्भ में।

3– प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

4–वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम उत्तराखण्ड देहरादून।

5– सामान्य प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

6–अपर आयुक्त/प्रभारी उपायुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड देहरादून।

7– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

8– वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी कुमायूँ/गढ़वाल संभाग, हल्द्वानी/देहरादून।

9– अपर सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।

10– निजी सचिव, खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

11– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

12– समन्वयक, एनआईसी, उत्तराखण्ड देहरादून।

13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

([illegible] सिंह)
अपर सचिव।

संलग्नक–1

माह जुलाई, 2008 से माह सितम्बर, 2008 तक एपीएल गेहूँ तदर्थ/अतिरिक्त जनपदवार मासिक आवंटन

(मात्रा मी0टन)

संभाग का नाम	जनपद का नाम	एपीएल गेहूँ का आवंटन
1	2	4
गढ़वाल संभाग	1–देहरादून	716.000
	2–हरिद्वार	503.400
	3–पौड़ी गढ़वाल	369.900
	4–टिहरी गढ़वाल	233.400
	5–चमोली	208.100
	6–रूद्रप्रयाग	138.200
	7–उत्तरकाशी	157.800
	योगः–	2326.800
कुमायूँ संभाग	1–नैनीताल	433.700
	2–बागेश्वर	108.200
	3–पिथौरागढ़	229.600
	4–चम्पावत	105.100
	5–ऊधमसिंह नगर	515.900
	6–अल्मोड़ा	280.700
	योगः–	1673.200
	महायोगः–	4000.000

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।